



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127242

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19728 वर्ष 2026

अरविंद @ गोरख

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : विजय प्रकाश चतुर्वेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत जमानत याचिका दायर की गई है जिसमें बी.एन.एस., थाना-उस्का बाजार, जिला-सिद्धार्थ नगर की धारा 109(1), 115(2), 351(3) के तहत मुकदमा अपराध संख्या-148 वर्ष 2025 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक का नाम दिनांक 18.08.2025 की प्राथमिकी में नहीं है, जो 14.08.2025 की कथित घटना के संबंध में दर्ज की गई थी। सह-आरोपी विजय कुमार और दशरथ तथा दो अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आवेदक का नाम घायल राम केवल ने लिया था, जब 28.08.2025 को दौरान ए विवेचना उसका बयान दर्ज किया गया था। घायलों ने आवेदक और सह-आरोपी दशरथ और विजय कुमार के खिलाफ अपने बयान में सामान्य आरोप लगाए थे। सह-आरोपी दशरथ को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-17061 वर्ष 2026 में दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.05.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर बढ़ा दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 07.04.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ताने जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् दशरथ को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् दशरथ को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है और उसी आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या रोक नहीं दी गई है, और आवेदक 07.04.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन की **अनुमति** है।

8. आवेदक- अरविंद @ गोरख, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त



कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द०प्र०स०/84 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

15 जून 2026 / ए.पी. पांडे

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)